VISION IAS

www.visionias.in

VISION IAS
M N 12 NOV 2016
SUBMITTED IN 3 HOURS
RECEIVED

GENERAL STUDIES (TEST CODE : 758)

Name of Candidate	ANIRUDDH KUMAR		
Medium Hindi/Eng.	HINDI	Registration Number	30622
Center	M·N	Date 12/10/2016	

INDEX TABLE

Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	12.5	
2	12.5	
3	12.5	
4	12.5	
5	12.5	
6	12.5	
7	12.5	
8	12.5	
9	12.5	
10	12.5	
11	12.5	
12	12.5	
13	12.5	
14	12.5	
15	12.5	
16	12.5	
17	12.5	
18	12.5	
19	12.5	
20	12.5	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

1. Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
   उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
2. There are TWENTY questions printed in HINDI and ENGLISH.
   इसमें बीस प्रश्न हैं तथा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में छपे हैं।
3. All questions are compulsory.
   सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
4. The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
   प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
5. Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other that the authorized one.
   प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
6. Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
   प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
7. Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
   उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

75, 3rd Floor, Old Rajinder Nagar Market, Near Axis Bank, New Delhi – 110060

103, 1st Floor, B/1-2, Ansal Building, Behind UCO Bank, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi – 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Alignment Competence
2. Context Competence
3. Content Competence
4. Language Competence
5. Introduction Competence
6. Structure - Presentation Competence
7. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

Answer all the questions in NOT MORE THAN 200 WORDS each. Content of the answers is more important than its length. All questions carry equal marks.

12.5X20=250

1. What role has the constitution envisaged for the Governor with respect to administration of Scheduled and Tribal Areas? Critically evaluate the success of provisions of Fifth and Sixth schedules in achieving their objectives.

   अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में संविधान में राज्यपाल के लिए कौन-सी भूमिका परिकल्पित की गई है? अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पांचवीं और छठी अनुसूची के विभिन्न उपबंधों की सफलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

2. In view of the argument that governance is caught in a logjam of far too many checks and not enough balances, has the time arrived to have a relook at the powers of Rajya Sabha? Discuss keeping in mind the constitutional rationale and the role performed by Rajya Sabha over the years.

इस तर्क के आलोक में कि सरकार अत्यधिक व्यवधानों से घिरी हुई है और इसके पास इन व्यवधानों का पर्याप्त समाधान भी नहीं है, बताईए कि क्या राज्य सभा की शक्तियों के पुनर्विलोकन का समय आ गया है? संवैधानिक औचित्य एवं निकट अतीत में राज्य सभा द्वारा निभायी गयी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए।

वर्तमान समय में राज्यसभा की भूमिका की काफी आलोचना हो रही है। इसके कई कारण हैं—

(1) Logjam की समस्या — कई महत्वपूर्ण बिल लोकसभा से पास होने के बावजूद भी राज्यसभा में लटके पड़े हैं।

(2) राज्यसभा में सदस्यों की गिरता गुणवत्ता

आज राज्यसभा backdoor entry का माध्यम बन गया है। ऐसे राजनेता व बाहुबली जो लोकसभा का चुनाव हार जाते हैं, राज्यसभा में चुनकर आ रहे हैं।
साथ ही राज्यसभा राजनीतिक दलों के लिए fund इकट्ठा करने का माध्यम बन गया है। जिसके पास धन-बल है, वह राज्यसभा का टिकट पा सकता है।

(3) नामांकित सदस्यों की गिरती गुणवत्ता → PRS Legislative Research के अनुसार इस राज्यसभा में कई ऐसे

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

नामांकित सदस्य है (रेखा व अन्य) जिन्होंने अभी तक एक भी प्रश्न नहीं पूछे हैं, साथ ही उनकी अनुपस्थिति भी ज्यादा होती है।

(5) छोटे राज्यों को पर्याप्त समय न मिलना —
सामान्यत: राज्यसभा संघवादी प्रवृति को मजबूत करता है परन्तु हमारी राज्यसभा में छोटे राज्यों की बहुत ही कम सीटे है अत: उन्हें वाद-विवाद में पर्याप्त समय नहीं मिलता।

इन सभी परिस्थितियों में सरकार द्वारा भी राज्यसभा को bypass करने का प्रयास किया जाता है-
(1) कई महत्वपूर्ण विधेयकों को धन विधेयक बनाकर प्रस्तुत करना।
(2) महत्वपूर्ण मुद्दों पर कानून बनाने की जगह अध्यादेश बना देना।

जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने राज्यसभा को 'उपरी सदन' के रूप में

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

स्थापित किया था जो राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा व साथ ही लोकसभा के लिए balancing power की भूमिका निभायेगा। कई बार कई महत्वपूर्ण विधेयक भी राज्यसभा से शुरू होते हैं।

Way forward

आज जरूरत है कि राज्यसभा की भूमिका को पुनरावलोकित किया जाये व कुछ सुधार किये जाये —

(1) 2003 का संशोधन जिसके द्वारा 'domicile' की बाध्यता खत्म कर दी गयी थी, उसे रद्द किया जाये।

(2) छोटे राज्यों व छोटी पार्टियों को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए (अभी कई छोटी पार्टियों व नामांकित सदस्यों ने ज्यादा समय के लिए 'यूनाइटेड पार्टी' बनाई है।)

(3) सदस्यों को उनके व्यवहारों व दायित्वों के सन्दर्भ में प्रशिक्षित किया जाये (2^{nd} ARC — संसद सदस्यों के लिए भी code of ethics का विकास हो)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

3. The constitutional provisions relating to office of profit have been violated over the years in spirit, even as they have been adhered to in letter. Discuss in light of various judgment(s) of the Apex Court in this regard.

कागजी तौर पर पालन किए जाने के बावजूद, लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का स्वभाविक तौर पर पिछले कुछ वर्षों में उल्लंघन ही किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए।

लाभ के पद का उल्लेख संविधान में art 102 व art 191 में है। परन्तु इसमें 'लाभ के पद' को परिभाषित नहीं किया गया है।

चुनाव आयोग ने कुछ आधारों पर 'लाभ के पदों' का निर्धारण किया है -

(1) अगर सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्ति होती है।

(2) अगर सरकार को उस पद से हटाने का अधिकार है।

(3) अगर सरकार उस पद के लिए Renumeration तय करती है।

(4) अगर पद का function सलाहकारी न होकर कार्यकारी (Executive) प्रकृति का है।

वैसे संविधान में संसद को यह अधिकार है कि वह कुछ पदों को कानून के द्वारा लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु 'लाभ के पद' के प्रावधान का कई बार दुरुपयोग हुआ है - हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा बड़ी संख्या में MLA को संसदीय सचिव का पद दिया गया। जबकि संसदीय सचिव को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है तथा उसी आधार पर सुविधायें मिलती हैं।

वास्तव में यह संविधान के 91 वें संशोधन (2003) को bypass करने के लिए किया जाता है जो यह निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कुल विधानसभा / लोकसभा के सदस्य संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती।

इस दुरुपयोग को रोकने के लिए माननीय न्यायालयों (HC व SC) ने भी कई बार ध्यान किये हैं।

① हाल ही में कलकत्ता हाइकोर्ट ने 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द किया था।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

② यही भूमिका महाराष्ट्र व हिमाचल प्रदेश हाइकोर्ट ने भी अपने निर्णयों में निभाई है।

इसके अलावा कई कमिटियों ने भी सरकार की भूमिका की आलोचना की है। तथा इस सन्दर्भ में guideline बनाने के निर्देश दिये है।

2nd ARC के अनुसार लाभ के पद का निर्धारण निम्न आधारों पर हो -

① अगर किसी पद का गठन पूर्णत: सलाहकारी भूमिका के लिए है तो उसे लाभ का पद नही माना जाना चाहिए।

② (a) अगर पद के कार्य Executive nature के है
(b) अगर वह Policy making से संबंधित निर्णय लेता है।
(c) अगर वह Govt. के expenditure को नियंत्रित करता है।
(d) अगर उसे अपने कार्य के लिए सरकार से कुछ Renumeration मिलता है

तो उसे लाभ का पद माना जाये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

4. While holding simultaneous elections to the Parliament and State Legislative Assemblies offers various advantages, it brings its own set of complexities. Discuss.

यद्यपि संसद और राज्य विधान सभाओं के लिए एक साथ चुनाव आयोजित करने के अनेकों लाभ हैं किन्तु इसकी अपनी जटिलताएँ भी हैं। चर्चा कीजिए।

पिछले कुछ समय हमारे प्रधानमंत्री व अन्य प्रमुख व्यक्तियों ने इस बात पर बल दिया है कि संसद व राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ आयोजित किये जाये।

Law Commission, संसदीय स्थायी समिति आदि ने भी समय समय पर इसकी मांग की है।

लाभ (1) अभी सरकार केवल 4 साल ही कार्य कर पाती है व 1 साल चुनाव में व्यर्थ हो जाते है।

(2) चुनाव के समय MCC के लागू होने पर विकास कार्य बाधित हो जाते है।

(3) एक साथ चुनाव कराने से नेताओं को भी बार-बार चुनाव की चिंता नही करनी होगी व उनकी व्यस्तता घटेगी अतः वह जनता के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे पायेगें।

(4) इससे वोटर को भी बार-बार छुट्टी नही लेना।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

होगा, इससे voter turnout भी बढ़ेगा।

(8) इससे बोगस वोटिंग की समस्या का भी समाधान होगा, क्योंकि अभी बड़ी संख्या में लोग अलग-अलग समय पर चुनाव होने के कारण कई जगहों के वोटर बने रहते हैं।

परन्तु इन लाभों के होते हुये भी इस प्रस्ताव में काफी व्यवहारिक समस्यायें हैं –

(1) संविधान में यह उल्लेख है कि सरकार कभी भी राष्ट्रपति या राज्यपाल को लोकसभा या विधानसभा को dissolve करने के लिए कह सकती है।

(2) संसद/विधानसभा कभी भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिरा सकती है।

(3) राज्यपाल कभी भी स्थितियां प्रतिकूल होने पर राज्य में art 356 के तहत आपातकाल लगा सकता है।

(4) इसके अलावा art 85 व art 174 भी कहता है कि सरकार के गिरने के 6 महीने के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

भीतर अनिवार्य रूप से चुनाव हो जाने चाहिए।

(5) इनके साथ ही एक बार चुनाव होने से सरकारें भी 5 साल के लिए निश्चिंत हो जायेगी। अतः वे 3-4 साल कम efficiency से काम करेंगी व चुनाव आते ही काम की दर बढ़ जाएगी।

(6) साथ ही एक साथ चुनाव कराने से सरकार के पास पर्याप्त प्रशासनिक व सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं होगा।

अतः जरूरत है कि एक साथ चुनाव की व्यवहारिकता को समझते हुये यह प्रावधान किया जा सकता है कि जिन राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के 6 महीने आगे या पीछे होने वाले हैं उन्हें एक साथ कराया जा सकता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

5. The right to live with dignity under Article 21 includes the right to die with dignity. Discuss in light of various judicial pronouncements by the Apex Court on this matter. Also, critically examine the various issues associated with the Medical Treatment of Terminally Ill Patients Bill 2016.

अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने के अधिकार में सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी सम्मिलित है। इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के आलोक में चर्चा कीजिए। साथ ही, "मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेंट्स बिल- 2016" से संबद्ध विभिन्न मुद्दों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अनुच्छे 21 व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। पर इसमें 'मरने का अधिकार' शामिल नहीं है। इस बात को सर्वोच्च न्यायलय ने कई निर्णयों में स्वीकार है—

① ज्ञान सिंह कौर केस (1994) → इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि 'Right to Life' में 'Right to death' शामिल नहीं है।

② इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार IPC के Sec 309 (आत्महत्या के प्रयास) को सही ठहराया।

हलाँकि नये Mental Health Care bill में सरकार Sec 309 में संशोधित कर सजा के प्रावधान को खतम कर रही है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(3) इसी तरह 'अरुणा शानबाग' केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पुनः यह दुहराया कि व्यक्ति को 'Right to death' का अधिकार नहीं है

तथा Active Euthanasia की जगह पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी है। वह भी पहले हाइकोर्ट निर्धारित करेगा कि व्यक्ति की स्थिति में सुधार की कोई संभावना नहीं है या वह गंभीर या असहनीय पीड़ा से गुजर रहा है तब विशिष्ट परिस्थितियों में उसे यह अधिकार मिलेगा।

इसी सन्दर्भ में सरकार भी 'मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनली इल पेशेन्ट बिल 2016' लेकर आ रही है ताकि वैसे व्यक्ति जिनकी स्थिति में सुधार की कोई संभावना मेडिकल जगत में नहीं है या जो लम्बे समय से brain dead की अवस्था में है या जो किसी गंभीर बीमारी में असहनीय पीड़ा की स्थिति से गुजर रहे है व समय के साथ उन पीड़ा के कम होने का कोई उपाय नहीं है, उन

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

लोगों को वन बिल के माध्यम से जीने के अधिकार को सुनिश्चित किया जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

6. Inspite of 15 years of being in existence, it is often argued that MPLADS has failed to meet its objectives. Critically analyse along with reforms required to improve its implementation. Also discuss if this scheme should be discontinued in light of 73rd and 74th amendments to the constitution.

15 वर्षों से अस्तित्व में होने के बाद भी, प्राय: यह तर्क दिया जाता है कि MPLADS अपने उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। इसके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सुधारों के संबंध में बताते हुए इसका आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। साथ ही, इस विषय पर भी पर चर्चा कीजिए कि क्या संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में इस योजना को बंद कर देना चाहिए।

MPLADS (Member of Parliament Local Area Development Scheme)
योजना को शुरु करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यही था कि किसी क्षेत्र के MP अगर किसी काम को Priority के आधार पर कराना चाहते है तो उन्हें जिलाधिकारी से मिलकर अपने प्रस्ताव को देना होता था फिर इस योजना पर उनके MPLAD fund से

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

7. Mentioning the positions taken by the Supreme Court and the Government of India, examine the rationale behind the idea of National Court of Appeal (NCA).

सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार द्वारा अपनाए गए रुख का उल्लेख करते हुए राष्ट्रीय अपील न्यायालय (नेशनल कोर्ट ऑफ़ अपील-NCA) के विचार के पीछे विद्यमान तर्क का परीक्षण कीजिए।

आज हमारी उच्चतर न्यायपालिका 'सुप्रीम कोर्ट' कई समस्याओं से ग्रस्त है जिसमें एक है बड़ी संख्या में यहां मामलों का लम्बित होना। लगभग 60 हजार सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही हमारी सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में ही बैठती है क्योंकि संविधान के art 130 में उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा या फिर भी किसी ऐसे अन्य स्थान पर जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश, राष्ट्रपति की सलाह से निर्धारित करें।

दिल्ली में बैठने के कारण बड़ी संख्या में लोगों को अपने मामलों की सुनवाई के लिए तमिलनाडु केरल, North East आदि से लम्बी दूरी तय करके आना पड़ता है। यह 'Affordable justice' के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसी सन्दर्भ में नेशनल कोर्ट ऑफ अपील बनाने का प्रस्ताव दिया जाता है :-

(1) यह कोर्ट सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के मध्य में होगा।

(2) यह सिविल व क्रिमिनल मामलों के अपील का सर्वोच्च कोर्ट होगा।

(3) इसकी चार बेंचें स्थापित होगी।

(4) इसका निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा जिसकी कोई भी अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकती।

इसके कारण सुप्रीम कोर्ट केवल संवैधानिक मामलों में निर्णय तक सीमित हो जाएगी।

परन्तु व्यवहारिकता में इनके काफी कठिनाइयाँ है -

(1) यह संविधान के art 130 का उल्लंघन करता है जो यह निर्धारित करता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित होगा।

(2) यह संविधान के art 136 के भी खिलाफ है जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट विशेष

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

मामलों में 'Special Leave Petition' (SLP) की अनुमति देती है।

(3) साथ ही अभी वैसे ही न्यायपालिका जजों की कमी की समस्या से गुजर रही है अतः यह प्रावधान इस समस्या को और बढ़ायेगा।

इन कारणों से सरकार व सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कोर्ट ऑफ अपील के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

पर आज जरूरत है कि लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जाये। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जार्ज वाशिंगटन कहते थे - "न्याय का प्रशासन लोकतंत्र का आधारभूत स्तम्भ है।"

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

8. In light of frequent droughts experienced in the country, efficient water management is the need of the hour. How far can Draft National Water Framework Bill, 2016 help in achieving this? Analyse its utility in tackling the issues of inter-state water disputes.

देश में लगातार पड़ रहे सूखे को देखते हुए; कुशल जल प्रबंधन समय की माँग है। इसे प्राप्त करने में राष्ट्रीय जल प्रारूप विधेयक, 2016 (नेशनल वाटर फ्रेमवर्क बिल, 2016) का मसौदा किस सीमा तक सहायता कर सकता है? अन्तर्राज्यीय जल विवादों के मुद्दों से निपटने में इसकी उपयोगिता का विश्लेषण कीजिए।

पिछले कुछ समय में सूखे की समस्या बढ़ी है खासकर 2014 व 2015 के साल एल-नीनो के कारण सूखाग्रस्त रहे। इससे लोगों, किसानों की समस्यायें बढ़ी। इसने कई बार जल विवादों को भी जन्म दिया है - उदाहरणस्वरूप

(1) सतलज के पानी को लेकर पंजाब व हरियाणा के बीच विवाद (सतलज - यमुना लिंक - SYL)

(2) कावेरी के पानी के लेकर कर्नाटक व तमिलनाडु के बीच विवाद

(3) महादेयी नदी के पानी को लेकर गोवा, महाराष्ट्र व कर्नाटक के बीच विवाद

(4) गोदावरी के पानी को लेकर आंध्रप्रदेश व नव गठित तेलंगाना के बीच विवाद।

अतः इन्हीं समस्याओं को देखते हुये कुशल जल प्रबंधन की मांग की जाती है —

(1) जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन → आज हमारे wetland शहरीकरण व कृषि की भेंट चढ़ रहे है।

(2) कृषि में ground water का काफी दुरुपयोग लगभग 80% कृषि सिंचाई भूमिगत जल से होती है)

(3) उद्योगों द्वारा नदियों के जल को प्रदूषित किया जाना

(4) cropping pattern का खराब होना — सूखा प्रभावित महाराष्ट्र व कर्नाटक के किसान गन्ने की खेती कर रहे है, पंजाब में चावल उगाया जा रहा है।

इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय जल प्रारूप विधेयक 2016 लाया जा रहा है जिसमें जल के बेहतर प्रबंधन पर बल दिया गया है। यह राज्यों के लिए एक मॉडल कानून

का काम करेगा (क्योंकि जल प्रबंधन राज्य सूची का विषय है)। इस विधेयक में वाटर मीटरिंग पर भी बल दिया गया है ताकि जल के अनावश्यक दुरुपयोग को रोका जाये।

उपरोक्त बिल निश्चित रूप से अन्तर्राज्यीय जल विवादों के समाधान में सहायक होगा क्योंकि जल विवाद का अंतिम समाधान जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन ही है। नदी जल बेसिन का बेहतर प्रबंधन कर इससे जुड़े सभी राज्यों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराया जा सकता है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

9. It is often said that the Right to Information act is necessary, but not sufficient to improve governance. Do you agree? Also, examine the various structural, procedural and logistical issues with the act.

प्राय: कहा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम आवश्यक तो है, लेकिन गवर्नेंस (शासन) में सुधार करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। क्या आप सहमत हैं? साथ ही, इस अधिनियम से जुड़े विभिन्न संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और सुप्रचालनिक (लॉजिस्टिकल) संबंधी मुद्दों का परीक्षण कीजिए।

सूचना का अधिकार अधि० (RTI Act 2005)
लोकतंत्र के विकास में मील का पत्थर माना जाता है
जिसने (1) शासन में <u>पारदर्शिता</u> बढ़ायी
(2) शासन को अपने कार्यों के लिए <u>उत्तरदायी</u> बनाया।
(3) इसने विभिन्न योजनाओं व स्कीमों में भ्रष्टाचार व लीकेज को भी सामने उभारा
(4) इससे जनता का प्रशासन व सरकार पर विश्वास भी मजबूत हुआ है।

परन्तु जिस art 19 के तहत सूचना का अधिकार प्राप्त हुआ था आज वह अधिनियम ~~प्रशासन के भले की फांस भी बन रहा~~ कई समस्याओं से ग्रस्त है जिस कारण इसकी प्रभाविता सीमित हुई है —

(1) <u>लॉजिस्टिक मुद्दे</u> ~~संरचनात्मक~~ (a) सरकारी आफिसों में सूचनाओं का बेहतर प्रबंधन न होने से सूचनाओं को देने में

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

देरी होती है।

(b) वैसे ही अदक्षता की समस्या से ग्रस्त सरकारी विभाग को अपनी बड़ी समय व कार्मिक सूचनाओं को प्रदान करने में लगाना पड़ता है।

(c) पिछले कुछ समय में बड़ी मात्रा में frivolous RTI भी पाया हुये जिनका लोकहित से कोई लेना देना नहीं था।

(2) संरचनात्मक (a) RTI act का sec 4 कहता है कि विभाग को अपनी ज्यादातर सूचनाये online कर देनी चाहिए जबकि पाया गया है कि जितनी सूचनायें मांगी जाती है उनके से ज्यादा (लगभग 50 %) ऐसी सूचनायें होती है जो sec 4 के तहत स्वयं disclose की जा सकती थी।

(b) Act का sec 6(3) व 7(9) का ज्यादा दुरुपयोग हुआ है। sec 6(3) यह निर्धारित करता है कि अगर संबंधित PIO के अलावा किसी दूसरे के पास सूचना पत्र पहुँचती है तो उसे संबंधित PIO को 5 दिन के भीतर RTI एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर देनी होगी पर इनमें बहुत देरी होती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(c) RTI का उपयोग करने वाले 85% लोग शहरों से होते है व ग्रामीण जनसंख्या द्वारा मात्र 15% ही RTI application फाइल होते है।

(~~क~~)

(3) प्रक्रियागत - RTI जवाब देने में देरी करने पर Penalty का प्रावधान है पर पाया गया है कि मात्र 3% cases में ही conviction हो पाता है।
↳ इसके अलावा RTI activist के harrasment का मुद्दा भी रहा है।
इन सब कारणों से RTI एप्लीकेशन का इतना भरमार हो गया है कि छुटे केसों को निपटाने में MP को 60 साल व पश्चिम बंगाल को 18 साल लगेंगे।

अतः RTI शासन में सुधार करने व उसकी जवाबदेयता सुनिश्चित करने में पूरी तरह सफल नहीं रहा है इसकी प्रभाविता को बढ़ाने के लिए इसमें और सुधार आवश्यक है।

10. While the Right to Education is based on the idea that every child should have an equal right to quality education, it has been facing challenges on various fronts. Comment. Can privatising education provide a solution to the problems being faced?

यद्यपि 'शिक्षा का अधिकार' इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार होना चाहिए, इसके बावजूद यह विभिन्न मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। टिप्पणी कीजिए। क्या शिक्षा का निजीकरण कर देने से सामना की जा रही समस्याएं हल हो सकती हैं?

सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त व अनिवार्य बनाने के लिए RTE act 2009 पारित किया परन्तु यह कई मामलों में सफल नही रहा है।

प्रथमा NGO के द्वारा किये गये Annual Education of Survey Report (ASER) में इस बात को माना गया है —

(1) शिक्षा में नामांकन दर बढ़ा है पर गुणवत्ता प्रभावित हुई है।

(2) (a) कक्षा 2 के 60% बच्चे 100 तक की गिनती नही कर पाते।

(b) कक्षा 5 के लगभग आधे बच्चे कक्षा 2 की किताब नही पढ़ पाते

(c) कक्षा 8 के बड़ी संख्या में बच्चे Basic Addition, multiplication व division नही कर पाते।

यह दिखाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता हमारे सरकारी विद्यालयों में कितनी गिरी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इस कारण बड़ी संख्या में माँ-बाप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला कराते हैं। परन्तु जो सक्षम नहीं हैं उनका क्या, वे तो सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर ही निर्भर रहेंगे।

इसी सन्दर्भ में यह सुझाव दिया जाता है कि शिक्षा का निजीकरण कर देना चाहिए। पर यह सही नहीं है -

(1) निजी क्षेत्र Profit motive पर काम करता है इस कारण यहाँ फीसे काफी महंगी होती है अतः आम आदमी के बच्चों का प्रवेश मुश्किल है।

(2) साथ ही भारत जैसे देश में जहाँ 29% जनसंख्या 50 रुपये प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करती है वहाँ बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना मुश्किल होगा → इससे बच्चों का dropout बढ़ेगा, इससे ये लोग कभी गरीबी से उबर नहीं पायेंगे।

(3) कोठारी आयोग जिन्होंने शिक्षा को 'मूक क्रांति' (Silent Revolution) की संज्ञा दी थी उन्होंने सरकारी क्षेत्र को

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

शिक्षा में ज्यादा निवेश करने पर बल दिया था तथा यह माना था कि सरकार को 6% GDP का इस क्षेत्र में निवेश करना चाहिए जबकि सरकार अभी मात्र 3.6% GDP का इस क्षेत्र में खर्च कर रही है)

जरूरत है कि सरकार RTE Act में पर्याप्त संशोधन करे :—

(I) Sec 12(1)(C) को कड़ाई से लागू करवाये - जो प्राइवेट स्कूलों में भी 25% सीटें वंचित तबकों के लिए आरक्षित करता है)

(II) Sec 16 के तहत 'No detention Policy' को रद्द करे (T.S.R. सुब्रमण्यम समिति ने भी इसकी अनुशंसा की है)

(III) Sec 29 के तहत CCE (Continuous & Comprehensive Evaluation) को लागू करने के लिए शिक्षकों को पर्याप्त ट्रेनिंग दे

Call us : 9650617807, 9968029039
Blog : www.visionias.wordpress.com
Visit us : www.visionias.in
Email : ajay.visionias@gmail.com

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

11. Enumerate the key rights being guaranteed by the Mental Health Care Bill, 2013 passed by the Rajya Sabha recently. Also examine the challenges in its implementation.

हाल ही में राज्य सभा द्वारा पारित मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2013 (मेंटल हेल्थ केयर बिल, 2013) द्वारा गारन्टित (प्रत्याभूत) प्रमुख अधिकारों को एक-एक करके बताइए। साथ ही, इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का परीक्षण कीजिए।

हाल ही राज्यसभा द्वारा पारित मेंटल हेल्थ केयर बिल -2013 के प्रमुख प्रावधान निम्न है-

(1) मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति का अधिकार

पीड़ित व्यक्ति को बिना भेदभाव के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों को visit करने का अधिकार है

(2) Advance Directive की व्यवस्था।

पीड़ित व्यक्ति पूर्व में ही यह निर्धारित कर सकेगा। कि वह किस तरह अपना इलाज कराना चाहता है व किस व्यक्ति को अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना चाहता है

(3) Mental Health care Authority (MHA) का गठन होगा → यह सभी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का रजिस्ट्रेशन करेगा, चिकित्सकों का

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

रजिस्ट्रेशन करेगा व स्वास्थ्य की गुणवत्ता भी देखेगा।

(4) Mental Healthcare Review Commission & Board (MHRCB) का गठन किया जाएगा।

(5) IPC के sec 309 को रद्द किया जाएगा क्योंकि आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्ति भी मानसिक रोगी होते हैं अत: उन्हें सजा की नहीं देखभाल की जरूरत है।

(6) Electro convulsive Therapy (ECT) → बच्चों के लिए ECT का प्रयोग नहीं होगा। वयस्कों में भी उपयोग से पूर्व उन्हें muscle Relaxant व एनस्थीसिया का उपयोग करना होगा।

यह विधेयक UN convention on Right of Person with disablity - 2007 के अनुरूप लाया गया है जिसका भारत हस्ताक्षरकर्ता भी है।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

परन्तु यह बिल भी कई कमियों से ग्रस्त है-

(i) बिल में मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित व्यक्ति को घर व आसपास के community में भेदभाव से बचाने के पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

(ii) बिल में इन्हें किसी प्रकार के वित्तीय सहायता के प्रावधान का भी उल्लेख नहीं है।

इस तरह कुछ कमियों से ग्रस्त होने के बावजूद भी यह बिल कई मायनों में प्रगतिशील है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

12. Absence of a powerful and politically accountable leadership in the cities is considered as one of the primary reasons for urban woes. Do you think that direct election of mayor can help in overcoming this issue? What other alternatives can be explored for improving the working of urban local bodies?

शहरों में शक्तिशाली और राजनैतिक रूप से जवाबदेह नेतृत्व का अभाव, शहरी समस्याओं के प्राथमिक कारणों में से एक माना जाता है। क्या आपको लगता है कि महापौर का प्रत्यक्ष निर्वाचन इस समस्या से उबरने में मदद कर सकता है? शहरी स्थानीय निकायों के कामकाज में सुधार के लिए अन्य क्या विकल्प हो सकते हैं?

शहरी प्रशासन में स्वायत्तता देने के लिए संविधान में 74 वाँ संशोधन 1993 किया गया ताकि लोग अपने अनुरूप योजनायें बनाकर उनका क्रियान्वयन कर सके।

परन्तु यह देखा गया है कि शहरी प्रशासन कई समस्याओं से ग्रस्त रहा है तथा लगभग 40 करोड़ की जनसंख्या को पर्याप्त सुविधायें व सेवायें मुहैया कराने में असफल रहा है।

इस सन्दर्भ में एक तर्क यह दिया जाता है कि नगर निगमों में मेयर का प्रत्यक्ष चुनाव हो। इसके कई फायदे हैं –

(1) प्रत्यक्ष चुना हुआ मेयर जनता का वास्तविक प्रतिनिधि होगा। अतः जनता के

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

प्रति अधिक उत्तरदायीपूर्ण ढंग से काम करेगा।

(2) ऐसा मेयर बिना किसी पार्टी दबाव के स्वतंत्र से निर्णय ले पाएगा।

(3) ऐसा मेयर राजनीतिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर लोगों के हित में काम कर पाएगा।

पर यह प्रस्ताव कई समस्याओं से ग्रस्त है—

(1) मेयर के प्रत्यक्ष चुनकर आने से मेयर व municipal commission (नगर आयुक्त) के बीच Power tussle उभर सकता है।

(2) साथ ही अगर मेयर किसी छोटे दल का हुआ तो उसके लिए परिषद चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। (अभी हाल ही में 2010 में पास हुये हिमाचल प्रदेश municipality Act में संशोधन के बाद यह देखा गया है कि प्रत्यक्ष चुना मेयर अगर छोटी पार्टी का हो तो उसके लिए कार्य करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उसे परिषद के अन्य सदस्यों का सहयोग नहीं मिलता है।)

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः आवश्यक है कि वर्तमान शहरी प्रशासन संरचना में ही सुधार किये जाये -

① स्थानीय स्वशासन को पर्याप्त Fund, Function व Functionaries दिये जाये।

② इन निकायों के विकास के लिए पर्याप्त वित्त मिले सरकार की तरफ से साथ ही ये म्यूनीसिपल बांड जारी करके भी फंड इकट्ठा कर सके।

③ इनके Financial mgt. पर भी पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है।

④ सरकार निकायों को Performance based grant उपलब्ध कराये।

⑤ 'Citizen Report Card' विकसित किये जाये जिसमें शहरी सुविधाओं के आधार पर इन निकायों की रेटिंग की जाये।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

13. It is more difficult to escape the shadow of social discrimination than it is to break the shackles of economic backwardness. Discuss the statement in the context of Dalit capitalism and give an account of the problems that Dalit entrepreneurs have been facing. Also highlight the steps taken by the government in recent times to encourage Dalit empowerment via the market.

आर्थिक पिछड़ेपन की जंजीरों को तोड़ने की तुलना में सामाजिक भेदभाव की छाया से बचना अधिक कठिन है। दलित पूंजीवाद के संदर्भ में इस कथन पर चर्चा कीजिए एवं दलित उद्यमियों द्वारा सामना की जाती रही समस्याओं को विस्तार से बताइए। बाजार के माध्यम से दलित सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को चिन्हित कीजिए।

सामान्यतः यह धारणा होती है कि अगर पिछड़ी जातियों का आर्थिक सशक्तिकरण हो जाये तो धीरे-धीरे वर्ग (class) की भावना मजबूत होगी व सामाजिक भेदभाव भी खत्म हो जाएगा।

इसी सन्दर्भ में सरकार ने भी 'दलित कैपिटलिज्म' को प्रोत्साहित किया है। इसका अर्थ है दलितों को स्वरोजगार व उद्यमिता (Entrepreneurship) के लिए प्रोत्साहित उनके समुदाय को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना।

इसके लिए सरकार —

(1) Stand up India स्कीम → देश के करीब 1.25 लाख बैंक ब्रांचों को कम से कम एक दलित / अनुसूचित जनजाति व एक महिला को उद्यमिता के

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

लिए लोन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी

(2) MUDRA स्कीम इन स्कीम के तहत सरकार इन पिछड़े तबकों को SIDBI के माध्यम से स्वरोजगार के लिए वित्त उपलब्ध करा रही है।

(3) महिला उद्यमी प्रोत्साहन योजना → इसके तहत सरकार इन वंचित तबकों की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

(4) DICCI का गठन किया गया है।
(दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री)

इसी तरह सरकार कई प्रयासों के द्वारा इन को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास कर रही है।

परन्तु इन प्रयासों में कई कमियाँ है –

(1) दलित कैपिटलिज्म का लाभ इन पिछड़े तबकों में से कुछ लोगों को मिलेगा, खासकर उन लोगों को जो पहले से ही सुदृढ़ है अतः यह इन जातियों में असमानता को और बढ़ायेगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) यह भी देखा गया है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बावजूद भी सामाजिक भेदभाव खत्म नहीं होता।

अतः जरूरत है कि सरकार आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इन्हें skilled करे, पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराये। इसमें Angel investor आदि को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। साथ ही इनके साथ सामाजिक भेदभाव की स्थिति के भी समाधान के प्रयास हो

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

14. South Asia, with India at its centre, is the fastest growing region for human trafficking in the world. In this context, examine the reasons for human trafficking in India. How does the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2016 seek to address this issue?

मानव तस्करी के मामले में दक्षिण एशिया विश्व में सबसे तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र है, जहां भारत इसका केन्द्र है। इस संदर्भ में, भारत में मानव तस्करी के कारणों का परीक्षण कीजिए। मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2016 इस समस्या का किस प्रकार समाधान करने का प्रयास करता है?

आज पुरा दक्षिण एशिया Human trafficking की समस्या से पीडित है पर भारत सबसे अधिक पीडित है क्योंकि इसका बार्डर लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से मिलता है साथ ही कई देशों के साथ खुले बॉर्डर भी है।

भारत में मानव तस्करी के निम्न कारण है—

(1) भारत के अन्दर तस्करी मुख्यत: दो कारणों से

(1) Push Factor

(a) बडी संख्या में ग्रामीण गरीबी
(b) दहेज प्रथा जैसी समस्यायें
(c) बाल विवाह
(d) रोजगार के साधनों का अभाव

अत: इन परिस्थितियों में या तो माँ-बाप खुद कुछ पैसों के लालच में आकर अपनी बेटी को बेच देते है या कई बार fake marriage भी

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

इसमें बढ़ते हैं जो तस्करी का एक बड़ा स्रोत है।

(ii) Pull factor (a) शहरों में बेहतर रोजगार की उपलब्धता

(b) हरियाणा, पश्चिमी UP जैसे क्षेत्रों में कम लिंगानुपात के कारण विवाह के लिए लड़कियों की मांग → अतः उड़ीसा, झारखंड से लड़कियां यहां बड़ी मात्रा में लायी जाती हैं।

(c) शहरों में sex Industry में इन लड़कियों की मांग

(d) उद्योगों में सस्ते श्रम के रूप में बच्चों की मांग

(2) Cross border Human trafficking इसमें भी Push व Pull दोनो factor काम करते हैं। कई बार हिंसा, आर्थिक कमजोरी आदि के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोग बॉर्डर पारकर अनाधिकृत तरीके से आते हैं। तो कई बार भारत में बेहतर स्वास्थ्य सेवायें, रोजगार उपलब्धता, sex Industry में लड़कियों की मांग, उद्योगों में सस्ते श्रम की मांग आदि भी इन्हें भारत खींच लाती है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

United Nation office on drugs & crime की रिपोर्ट के अनुसार यह (मानव तस्करी) काफी फलता फूलता व्यवसाय है जो आज करीब 18 बिलियन डॉलर का मार्केट बन चुका है।

इसी सन्दर्भ में सरकार मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण व पुनर्वास) विधेयक -2016 लेकर आ रही है ताकि तस्करी के शिकार लोगों को पुनर्वास किया जाये साथ ही तस्करी के खिलाफ law enforcement को और मजबूत किया जाये। (अभी हमारे यहाँ मानव तस्करी जो cross border होती है वह Foreigner Act 1946 व Passport Act 1967 के तहत दंडनीय है वहीं देश के अन्दर तस्करी को संविधान के art 24 के तहत मानवाधिकारों का उल्लंघन बताया गया है व Human trafficking Act 1956 के तहत सजा दी जाती है)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

15. Though India's performance in Olympics has improved over the years, our sports ecosystem continues to suffer from many deficiencies. Analyze. Enumerate the steps that can be taken to improve India's performance in multi-national sports events.

हालांकि पिछले कुछ वर्षों में ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन में सुधार हुआ है, लेकिन हमारे खेल पारिस्थितिकी तंत्र में अब भी कई कमियां हैं। विश्लेषण कीजिए। बहु-राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारत के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों को एक-एक करके बताइए।

पिछले कुछ समय में भारत का प्रदर्शन ओलंपिक में सुधरा है फिर भी हम अभी काफी पिछे हैं। 2016 के रियो ओलंपिक में 119 सदस्यीय भारतीय टीम को कोई स्वर्ण पदक नही मिला। कुल 2 पदक मिले जिसमें एक रजत पदक व एक कांस्य पदक था। यह भारत के खेलों में पिछड़े प्रदर्शन को दिखाता है। इसके कई कारण है-

① स्कूलों में (a) बच्चों को खेलों के लिए प्रोत्साहित न करना। सामान्यत: पढ़ने पर ही ज्यादा दबाव।

(b) शिक्षक भी नही होते - एक ही शिक्षक P.T भी कराते हैं तो वही sports teacher भी है तो वही भूगोल, इतिहास विषय भी पढ़ाते हैं

(c) स्कूलों में पर्याप्त अवसंरचना का भी अभाव - खेल के मैदान नही, पर्याप्त खेल के संसाधन नही।

(2) शहरों में बेतरतीब तरीके से विकास - जिसमें बच्चों के लिए पार्क व प्लेग्राउंड छोड़े ही नहीं हैं।

(3) सरकार द्वारा भी खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध न करा पाना → अवसंरचना नहीं, ज्यादातर अच्छे खिलाड़ी अपने खर्चे पर विदेशों में प्रशिक्षण लेते हैं।

(4) हमारे यहाँ विभिन्न खेलों में अच्छी गुणवत्ता के कोच व प्रशिक्षक भी नहीं उपलब्ध हैं।

(5) विभिन्न खेल संघों में व्याप्त कमियाँ → अतः fund का diversion हो जाता है, corruption का शिकार, खेल संघों में राजनीतिज्ञों व नौकरशाहों का प्रभुत्व।

अतः उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने पिछले कुछ समय में ध्यान भी दिये हैं -

(1) रियो ओलंपिक में खराब प्रदर्शन के लिए खेल मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी गयी है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

② सरकार ने खेल से संबंधित मुद्दों के अध्ययन व समाधान के लिए एक 'अन्तर-मंत्रालयी समिति' का गठन किया है जो खेलों के प्रदर्शन व उनकी स्थिति में सुधार पर सरकार को रिपोर्ट देगी।

③ खेल का Infrastructure का दर्जा दिया गया है। इससे खेल संघों को पर्याप्त मात्रा में धन (fund) इकट्ठा कर पाना आसान होगा। साथ ही खेल अवसंरचना में निजी क्षेत्र का भी निवेश बढ़ेगा।

④ सरकार ने ऐसे खेलों पर ज्यादा फोकस करने पर बल दिया है जिनमें भारत अच्छा कर रहा है व जिनमें भारत अच्छा कर सकता है।
(सामान्यत: यह देखा गया है कि कई देश कुछ विशिष्ट खेलों में ही बेहतर प्रदर्शन कर कई पदक जीत जाते हैं जैसे जमैका - दौड़ में, मध्य एशियाई देश - कुश्ती में) इसी तरह भारत को भी अपने देश के अनुरूप कुछ विशिष्ट खेलों पर फोकस करना होगा।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

16. Though economic relations remain the backbone of the India-GCC relationship, both sides have been looking for new areas of cooperation to strengthen their political and strategic ties. Comment.

यद्यपि आर्थिक संबंध अभी भी भारत-GCC संबंधों के रीढ़ हैं, फिर भी अपने राजनीतिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों पक्ष सहयोग के नए क्षेत्रों की खोज करते रहे हैं। टिप्पणी कीजिए।

पिछले कुछ समय में भारत व अरब देशों के बीच संबंधों में तेजी से सुधार हुआ है। इनका एक बड़ा कारण यह है कि अरब के देश मुख्यत: 'Petrodollar' पर निर्भर हैं परन्तु अमेरिका की तेलों पर घटती निर्भरता (शेल गैस व तेल के कारण), यूरोपीय देशों में व्याप्त मंदी आदि ने इन्हें भी अपने market को विविधिकृत करने को प्रोत्साहित किया है। यही कारण है कि इन्होंने 'GCC Look East Policy' चलायी है ताकि एशियाई देशों में मार्केट का प्रसार हो।

भारत ने भी 'Look west Policy' के द्वारा इन संबंध को मजबूत करने का प्रयास किया है। भारत अपनी 80% ऊर्जा जरूरतों के लिए इन्हीं देशों पर निर्भर है। इसके अलावा अरब देशों

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

में भारत की लगभग 7 billion diaspora रहती है जो भारत को बड़ी मात्रा में Remittance भी भेजते हैं।

दोनो क्षेत्रों के बीच सहयोग कई संदर्भों में बढ़ रहा है –

(1) साउदी अरब, UAE आदि से भारत Strategic Partnership Agreement कर चुका है।

(2) Counter terrorism, Intelligence sharing आदि में भारत इनके साथ मिलकर काम कर रहा है।

(3) Space diplomacy → भारत अपनी space शक्ति का उपयोग diplomacy में कर रहा है जैसे भारत UAE mars mission 2020 में सहयोग कर रहा है।

(4) इन देशों के पास बड़ी मात्रा में Sovereign wealth fund (SWF) है (उदाहरणस्वरूप केवल UAE के पास 800 billion $ का SWF है)

अतः भारत इन Fund को अपने यहाँ आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है।

VISION IAS™

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

17. Whereas, on the one hand, multilateral institutions such as the United Nations and WTO are increasingly beset by logjam, on the other, regional and bilateral initiatives such as the TPP are gaining ground. Do you think India needs to review reliance on multilateralism in favour of bilateral and regional engagements?

जहाँ, एक ओर संयुक्त राष्ट्र और विश्व व्यापार संगठन जैसी बहुपक्षीय संस्थाएँ विभिन्न व्यवधानों से सर्वाधिक आक्रांत हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय और द्विपक्षीय पहलें जैसे कि TPP अपना आधार प्राप्त कर रही हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को द्विपक्षीय और क्षेत्रीय गठबंधनों के पक्ष में बहुपक्षीयता पर अपनी निर्भरता की समीक्षा करने की आवश्यकता है?

आज कई सारे multilarteral institution खासकर वित्तीय संगठनों व व्यापारिक संगठनों में 'Log jam' की स्थिति है। उदाहरणस्वरूप WTO का दोहा राउंड 2001 में शुरू हुआ था पर आज भी कृषि, सेवा व अन्य मुद्दों पर कोई सहमति नहीं बन पायी है। यही कारण है कि द्विपक्षीय व क्षेत्रीय संगठनों का महत्व बढ़ रहा है। उदाहरणस्वरूप

① रूस के नेतृत्व में यूरेशियाई इकोनॉमिक यूनियन (EEU) बन रहा है।

② आसियान व अन्य 6 देश मिलकर RCEP (Regional comprehensive Economic Partnership) बना रहे हैं।

③ अमेरिका के नेतृत्व में TPP (Trans Pacific Partnership) बनाया जा रहा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(4) अमेरिका व यूरोपीय देश मिलकर ~~क्षेत्रीय~~ क्षेत्रीय संगठन का निर्माण कर रहे हैं।

(5) इसी तरह द्विपक्षीय समझौतों पर भी बल दिया जा रहा है -
जैसे भारत यूरोपियन यूनियन से FTA करने का प्रयास कर रहा है। आदि।

परन्तु भारत प्रारम्भ से ही बहुपक्षीयता पर अधिक बल देता आया है क्योंकि यहाँ भी सबकी सहमति से व सबके लाभ के लिए काम होता है। परन्तु बहुपक्षीय संगठनों की विफलता व क्षेत्रीय गठबंधनों के बढ़ते महत्व ने भी भारत के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी हैं -

उदाहरण स्वरूप - भारत अगर TPP का सदस्य नही बनता है तो TPP के नियमों व सुविधाओं के मुताबिक बड़ी मात्रा में भारत का Trade diversion हो जाएगा क्योंकि इन ग्रुपों के IP, Patent, Labour, Environment आदि से जुड़े कड़े कानून भारत में लागू करने मुश्किल हैं।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

अतः भारत भी द्विपक्षीय व बहुपक्षीय समझौते पर बल देने लगा है-

① BIMSTEC को मजबूत करने का प्रयास

② ASEAN देशों के साथ मिलकर RCEP बनाने का प्रयास

③ अरब देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए GCC के साथ Cooperation

④ इसके अलावा Neighbourhood first policy के तहत पड़ोसी देशों से संबंध मजबूत करने का प्रयास

⑤ East Asia के देशों जापान, दक्षिण कोरिया आदि से बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास।

⑥ यूरोपियन यूनियन के साथ FTA करने का प्रयास।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

18. Even though India has been steadfast in its commitment to non-proliferation, its relationship with the export control regimes has not been without challenges. Discuss. Also, evaluate the importance of India joining export control regimes.

भले ही भारत अप्रसार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ रहा है, लेकिन निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के साथ इसके संबंध चुनौतियों से भरे रहे हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही, निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सम्मिलित होने के महत्व का मूल्यांकन कीजिए।

भारत NPT को भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर करने से मना करता आया है। इसी कारण भारत में NSG में प्रवेश नहीं मिल रहा है। वास्तव में NSG का गठन भारत के 1974 के प्रथम नाभिकीय विस्फोट के बाद ही हुआ था अतः NSG में शामिल विभिन्न देशों को इस बात पर आपत्ति है कि भारत इसका सदस्य कैसे बन सकता है जबकि इसने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किये है।

इसी सन्दर्भ में भारत की NSG सदस्यता का अभी हाल ही में हुई NSG बैठक में कोई चर्चा नहीं हुई।

भारत का तर्क ① भारत ने न्यूक्लियर विस्फोट पर 1998 से ही self moratorium लगा रखा है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

(2) भारत की नाभिकीय नीति एक बेहद ही सुरक्षित व शांतपूर्ण विकास की रही है। भारत 'No first use of Nuclear weapon' की नीति अपनाता है।

(3) भारत के अच्छे Track Record के कारण ही NSG ने भारत को waiver दिया था।

प्रश्न यह उठता है कि भारत NSG में प्रवेश का इतना उत्सुक क्यों है — (NSG व अन्य वासेनार एग्रीमेंट आस्ट्रेलिया एग्रीमेंट

(1) भारत केवल Rule को follow करने वाला बनकर नहीं रह सकता वह Rule making में आना चाहता है।

(2) भारत के सदस्य न होने से भारत में निवेश हतोत्साहित होता है क्योंकि निवेशक डरे रहते हैं कि कब नियम बदलकर भारत के विपक्ष में न हो जाएं।

(3) भारत अपने थोरियम भंडार का भी निर्यात करने में असफल रहा है।

(4) कई देशों के साथ civil nuclear Agreement होने के बावजूद भी भारत इनका लाभ उठाने मे असफल रहा है - उदाहरणस्वरूप भारत व नामिबीया मे 2009 मे एग्रीमेंट पर अभी तक कोई बढोतरी नही क्योंकि अफ्रीकी देशों के बीच पेलिन्डाबा Treaty है जो non NPT देश को nuclear fuel देने से मना करता है।

Don't write anything this margin (इस भाग में कुछ ना लिखें)

19. Even though SAARC has remained a key aspect of India's neighbourhood policy, the efficacy of this regional grouping has been questioned in recent times. Discuss. Also critically examine the options available to India in this context.

भले ही सार्क भारत की पड़ोस नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना हुआ है, लेकिन इस क्षेत्रीय समूह की प्रभावकारिता पर हाल के दिनों में प्रश्न उठे हैं। चर्चा कीजिए। साथ ही इस संदर्भ में भारत के पास उपलब्ध विकल्पों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)

20. The Indian diaspora is more prosperous than before and its involvement in India's development is increasing. How has India's engagement with its diaspora evolved over the years? Highlighting the initiatives taken by the government to fruitfully engage with the diaspora, comment on the emerging challenges in this context.

प्रवासी भारतीय समुदाय (इंडियन डायस्पोरा) अब पहले से अधिक समृद्ध है और भारत के विकास में इसकी भागीदारी भी बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में अपने प्रवासी समुदाय के साथ भारत की संलग्नता किस प्रकार निरंतर विकसित हुई है? प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ सफल रूप से संलग्न होने के लिए सरकार द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालते हुए इस संदर्भ में उभरती चुनौतियों पर टिप्पणी कीजिए।

Don't write anything this margin
(इस भाग में कुछ ना लिखें)